HRA Enzette of India

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (ii) PART II — Section 3 — Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ. 684] No. 684] नई दिल्ली, बुधवार, मई 21, 2008/वैशाख 31, 1930 NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 21, 2008/VAISAKHA 31, 1930

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

> (कागज अनुभाग) आदेश

नई दिल्ली, 21 मई, 2008

का,आ, 1179(अ),—केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 छ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यूजप्रिंट नियंत्रण आदेश, 2004 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

- (1) इस आदेश को न्यूजप्रिंट नियंत्रण (संशोधन) आदेश,
 2008 कहा जाए ।
 - (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।
- 2. न्युजप्रिंट नियंत्रण आदेश, 2004 की अनुसूची में,---
 - (1) देशी न्यूजप्रिंट विनिर्माताओं की मिल के नाम और अविस्थिति से संबंधित मद 4 में, क्रम सं. 83 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित जोडा जाएगा, अर्थात् :—

''84 मैसर्स शाह पेपर मिल्स लिमिटेड (यूनिट-III) 792/793, 40 शेड एरिया, जी.आई.डी.सी., वापी, वलसाड जिला, गुजरात राज्य''।

> [फा. सं. 4 (6)/2007-कागज] एन. एन. प्रसाद, संयुक्त सचिव

टिपप्पा: मूल आदेश भारत के राजपत्र में सं. का.आ. 1105 (अ), तारीख 11 अक्तूबर, 2004 के तहत प्रकाशित किया गया था और भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 24 अप्रैल, 2008 के आदेश सं. का.आ. 1035 (अ) द्वारा बाद में संशोधित किया गया था। MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department of Industrial Policy and Promotion)

(Paper Section)

ORDER

New Delhi, the 21st May, 2008

S.O. 1179(E).—In exercise of the powers conferred by Section 18 G of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following Order to amend the Newsprint Control Order, 2004, namely:—

- 1. (1) This Order may be called the Newsprint Control (Amendment) Order, 2008.
 - (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Newsprint Control Order, 2004, in the
 - In item 4 relating to the name of the Mill and Location of the indigenous newsprint manufacturers, after S. No. 83 and the entries relating thereto, the following shall be added, namely:—

"84. M/s. Shah Paper Mills Limited (Unit-III) 792/793, 40 Shed Area, GIDC, Vapi, Valsad District, in the State of Gujarat."

> [F. No. 4 (6)/2007-Paper] N. N.PRASAD, Jt. Secy.

Note: The principal order was published in the Gazette of India No. S. O. 1105 (E), dated 11th October, 2004, and subsequently amended *vide* Order No. S.O. 1035 (E) dated the 24th April, 2008 published in the Gazette of India.

1851 GI/2008